कार्यालयः जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू

(जिला योजना शाखा)
(नीति आयोग कोषांग)

email: chitvan@aspirationaldistricts.in   Office:06562-230859

प्रेस विज्ञप्ति

Aspirational Districts के अन्तर्गत Strengthening Micro Irrigation के तहत ड्रीप/स्प्रिंक्लर एवं सोलर मोटर पम्प अधिष्ठापन किया जाना है। उक्त योजना में 40 सोलर पम्प एवं 200 एकड़ कृषि भूमि पर ड्रीप/स्प्रिंक्लर का अधिष्ठापन किया जाना है, जिसके लिए पलामू जिला के निम्न अहर्ताधारी किसानों से दिनांक 07.06.2021 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

1. ऐसे लाभार्थी, जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे कम कृषि भूमि हो।
2. जिसके पास पूर्व से सिंचाई हेतु जलस्त्रोत उपलब्ध हो। अगर पूर्व से जलस्त्रोत नहीं है तो लाभार्थी को शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से सिंचाई हेतु जलस्त्रोत की व्यवस्था की जायेगी।
3. अनु0जाति/जनजाति/पी0भी0टी0जी0/महिला/दिव्यांग को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
4. 5.00 एच0पी0/(3.00 +2.00 एच0पी0) सोलर पम्प (387723.93 रूपये) हेतु 10 प्रतिशत अनुदान की राशि (38773.00 रूपये) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्माण सर्विसेस प्रा0 लि0, देय शाखा–रांची के नाम से जमा करनी होगी।
5. ड्रीप प्रति एकड़ (46959.53 रूपये) हेतु 10 प्रतिशत अनुदान की राशि (4696.00 रूपये) प्रति एकड़ के दर से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्माण सर्विसेस प्रा0 लि0, देय शाखा–रांची के नाम से जमा करनी होगी।
6. स्प्रिंक्लर प्रति एकड़ (36687.51 रूपये) हेतु 10 प्रतिशत अनुदान की राशि (3669.00 रूपये) प्रति एकड़ के दर से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्माण सर्विसेस प्रा0 लि0, देय शाखा–रांची के नाम से जमा करनी होगी।
7. चयनित लाभार्थी को अगले 5 वर्षो तक व्यवसायिक फसलों के रूप में (1) स्ट्राबेरी (2) बेबीकोर्न (3) ड्रैगन फ्रूट (4) शिमला मिर्च (5) खरबूज(6)तरबूज (7) ब्रोकली (हरा फूलगोभी) फल सब्जी आदि की ही खेती करनी होगी।
8. चयनित लाभार्थी द्वारा यदि ड्रीप/स्प्रिंक्लर एवं सोलर पम्प में से किसी एक, दो या तीनों उपकरणों हेतु आवेदन दिया जा सकता है।

8.1 प्रति लाभार्थी अधिकतम एक सोलर पम्प एवं 10.00 एकड़ भूमि का ड्रीप/स्प्रिंक्लर के लिए आवेदन कर सकता है।

इच्छुक किसान द्वारा आवेदन पत्र, 100 रूपये का ई–स्टाम्प, अद्यतन भूमि रसीद एवं बैंक ड्राफ्ट दिनांक 07.06.2021 तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय, पलामू में समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष जानकारी हेतु **श्री रमण कुमार, सहायक योजना पदाधिकारी(प्रशिक्षु), पलामू मो0न0–8987884532** से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/
जिला योजना पदाधिकारी,
पलामू।

ज्ञापांक 614 */जि0यो0,दिनांक* 02/06/021

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। साफ्ट एवं हार्ड प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। हार्ड प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इसे पलामू जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– श्री रमण कुमार, सहायक योजना पदाधिकारी(प्रशिक्षु), पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/6/21

जिला योजना पदाधिकारी,
पलामू।